

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला- गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक/निरीक्षण/11164-65/2015-16

तारीख 31/12/15

प्रबन्धक,

एम0सी0ए0 पब्लिक जू0हा0स्कूल

सुअरज गोला गोरखपुर

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं एम0सी0ए0 पब्लिक जू0हा0स्कूल सुअरज गोला गोरखपुर को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएँ तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।


उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षीन है :-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियाँ प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।


①
Manager
M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur


Principal
M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

➤ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 5000 वर्गफीट

➤ कुल निर्मित क्षेत्र - 3000 वर्गफीट

➤ क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 2000 वर्गफीट उपलब्ध है।

➤ कक्षाओं की संख्या - 10 उपलब्ध है।

➤ प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- भंडागार के लिए कक्ष- उपलब्ध है।

➤ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है।

➤ पेयजल सुविधा - उपलब्ध है

➤ मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध

➤ वाधारहित पहुँच - उपलब्ध है।

➤ अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।

9-विद्यालय की कक्षाओं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

11-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

12-विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

13-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड **C-216/2015** है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।

14-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता


Manager
M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur


Principal
M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur

है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

15-सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

16-शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

17-जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

18-मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण-पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(ओ0पी0यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पृ0सं0-संख्याक/निरीक्षण/

/2015-16 तददिनांक

प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Manager

M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur

Principal
M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-गोरखपुर

पत्रांक/निरीक्षण/

5021-227

/2019-20

दिनांक:-

21

22-6-2019

प्रबंधक,

एम0सी0ए0 पब्लिक जू0हा0स्कूल

सुअरज, गोला, गोरखपुर।

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) मण्डल गोरखपुर/बस्ती के पत्रांक लेखा/1388-89/2019-20 दिनांक 17-06-2019 के अनुपालन में सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक/बे0शि0प0/सामान्य(5)/24454-532/1994-95 दिनांक 25 मार्च, 1995 द्वारा दिये गये निर्देश "(अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में," का संज्ञान लेते हुए एम0सी0ए0 पब्लिक जू0हा0स्कूल सुअरज, गोला, गोरखपुर का नाम परिवर्तन कर एम0सी0ए0 पब्लिक स्कूल, सुअरज, गोला, गोरखपुर किया जाता है।

(बी0एन0सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पू0सं0/निरीक्षण/

/2019-20 तददिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) मण्डल गोरखपुर/बस्ती।
- 2- खण्ड शिक्षा अधिकारी क्षेत्र-गोला, गोरखपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Manager

Friday, 21 June, 2019

M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur

Principal
M.C.A. Public School
Suaraj Gola, Gorakhpur